



कार्यालय सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

पत्रांक : 285/सचिव-प्रा0भ0 बोर्ड/2024-25

दिनांक : 26 सितम्बर, 2024

शुद्धि पत्र

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13.09.2024 को सम्पन्न हुई। प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों के सापेक्ष कार्यवृत्त समस्त सदस्यों को पत्रांक-282/सचिव, प्रा0भ0 बोर्ड/2024-25 दिनांक 19.09.2024 द्वारा प्रेषित किया गया था। निर्गत कार्यवृत्त में मद संख्या-182/4 (पृष्ठ संख्या-2 व 3 पर) पर लिये गये निर्णय में अनुमानित अर्जन व्यय रू0 967.9838 करोड़ के स्थान पर टंकण त्रुटिवश रू0 9679.838 करोड़ अंकित हो गया है।

अतएव प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13.09.2024 के मद संख्या-182/4 (पृष्ठ संख्या-2 व 3 पर) पर पारित निर्णय में उल्लिखित अनुमानित अर्जन व्यय रू0 9679.838 करोड़ के स्थान पर व्यय रू0 967.9838 करोड़ पढ़ा जाय।

यह शुद्धि पत्र उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 26.09.2024 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष/आयुक्त महोदय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
5. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
14. अन्य सम्बन्धित/गार्ड फाइल।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव



लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2024 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डा० रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

- | | |
|-------------------------------|--|
| 01. श्री प्रथमेश कुमार | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। |
| 02. श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय | अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन), प्रतिनिधि-जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 03. श्री एस०सी० सिंह | अधिकांसी अभियन्ता, प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 04. श्री मुकेश चन्द्र वार्ण्य | सहायक लेखाधिकारी, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन। |
| 05. श्री दीप कुमार गौतम | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद। |
| 06. श्री महेश कुमार गौतम | अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ। |
| 07. श्री हितेश कुमार | नगर नियोजक, प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग। |
| 08. श्री मनोज चौरसिया | उपायुक्त-उद्योग, प्रतिनिधि-संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 09. डॉ० कल्याण सिंह | उपनिदेशक-पर्यटन, प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ। |
| 10. श्री पुष्कर शुक्ला | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 11. श्री पी०एन० सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

अन्य उपस्थिति:-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 12. श्री विवेक श्रीवास्तव | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 13. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 14. श्री दीपक सिंह | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 15. श्री के०के० गौतम | मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 16. श्री अरुनीन्द्र कुमार सिंह | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 17. श्री संजय कुमार सिंह | नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 18. श्री मनोज सागर | अधिकांसी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 19. श्रीमती वन्दना पाण्डेय | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 20. श्रीमती रंजना अवस्थी | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 21. श्री रविनन्दन सिंह | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

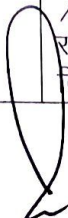
सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं०	विषय	निर्णय
182/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक दिनांक 05.07.2024 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
182/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

182 / 3	लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की वेल्नेस सिटी योजना से आच्छादित ग्राम-बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा व मस्तेमऊ, तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ की कुल भूमि 1197.984 एकड़ भूमि (अनुमानित अर्जन व्यय रु 1441.26609 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने के सम्बन्ध में।	मा० मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास के सम्बन्ध में दिनांक 19.07.2024 को अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक का कार्यवृत्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-570/आठ-1-23-1778303 दिनांक 01.08.2024 के माध्यम से निर्गत किया गया है, जिसमें प्रस्तावित वेल्नेस सिटी परियोजना में आ रही निजी विकासकर्ताओं की भूमि को परियोजना से पृथक् करते हुए संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सम्यक् विचारोपरान्त मा० मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की वेल्नेस सिटी योजना से आच्छादित ग्राम-बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा व मस्तेमऊ, तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ की कुल भूमि 1197.9843 एकड़ (अनुमानित अर्जन व्यय रु० 1441.26609 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
182 / 4	लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की आई०टी० सिटी योजना से आच्छादित ग्राम-बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़ नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा, तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ की कुल भूमि 1710.2433 एकड़ भूमि (अनुमानित अर्जन व्यय रु 1030.30774 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने के सम्बन्ध में।	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से रजिस्ट्रार, गौतम बुद्ध, विश्वविद्यालय, नोएडा एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को लखनऊ विकास प्राधिकरण की आई०टी० सिटी योजना के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात आंकलन हेतु तकनीकी/वित्तीय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रस्तावित योजना हेतु अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने हेतु मा० मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उक्त प्रेषित प्रस्ताव में होने वाले व्यय के रूप में अपेक्षित धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसमें कुछ भूमि अंसल ए०पी०आई० की भी सम्मिलित हो गई है। अवगत कराया गया कि प्रस्तावित भूमि 1710.2433 एकड़ के स्थान पर 1696.778 एकड़ है तथा इसका अनुमानित अर्जन व्यय रु 1030.30774 करोड़ के स्थान पर 9679.838 करोड़ है।

		सम्यक् विचारोपरान्त मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी योजना से आच्छादित ग्राम- बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा, तहसील-मोहनलाल गंज, लखनऊ की कुल 1696.778 एकड़ भूमि (अनुमानित अर्जन व्यय रु 9679.838 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
182/5	लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर आवंटित भूखण्ड, जिनमें निर्धारित वार्षिक किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 30 वर्षों की अवधि के उपरान्त 30-30 वर्षीय दो नवीनीकरण किये जाने के अधिकार पट्टाधारक को पट्टादाता द्वारा प्रदान किये गये हैं, में पट्टावधि प्रभावी होने के परिप्रेक्ष्य में नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नांकित बिन्दुओं के आलोक में अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया:- 1. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमियों हेतु विषय संख्या-18 पर पारित निर्णय दिनांक 05.08.2023 को अवक्रमित करते हुये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की पट्टागत भूमियाँ, जिनकी पट्टा अवधि वर्तमान में प्रभावी है, के पट्टाधारक के उत्तराधिकारियों/वसीयतधारकों/अन्तरणीय के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही वर्तमान प्रभावी उ०प्र० शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग द्वारा जारी नामान्तरण प्रभारों के उग्रहण नियमावली दिनांक 25.07.22 के अनुरूप सम्पादित की जाये तथा फ्री-होल्ड/पट्टे का नवीनीकरण की कार्यवाही शासन द्वारा नवीन नीति जारी हो जाने के उपरान्त निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये। 2. यदि किसी पट्टाधारक/उत्तराधिकारी/अन्तरणी द्वारा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूखण्ड को उपविभाजित करके विभाजित भाग का नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया जाता है, तो नियमानुसार पूर्व से प्रभावी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमियों हेतु पारित प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 25.11.1993/02.12.1993 तथा प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 09.07.2005 के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जायेगी तथा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट जो भूमियों सीधे फ्री-होल्ड विक्रीत की जा चुकी है, के विभाजित भाग का नामान्तरण /उपविभाजन किये जाने की दशा में अद्यतन जिलाधिकारी सर्किल दर के आवासीय भू-उपयोग पर 01 प्रतिशत उपविभाजन शुल्क के रूप में जमा कराते हुये नामान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। (चूँकि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट/नगर महापालिका की भूमियों/योजना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा पूर्व में विकसित की जा चुकी है)। 3. इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमियों हेतु निष्पादित आवंटन /पट्टा विलेखों में जो भी शर्तें अंकित की गयी हैं, वह लागू रहेगी। इस सम्बन्ध में यदि शासन द्वारा भविष्य में कोई दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं, तो वह पट्टाधारक/





		पट्टादाता दोनों की ही मान्य होंगे। 4. इसके अतिरिक्त इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट की समाप्त पट्टागत भूमियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही शासन द्वारा नवीन नीति सृजित किये जाने तक नहीं की जायेगी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
182/6	गोमती नगर क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष खण्ड में 764 वर्ग मीटर तथा विनम्र खण्ड में 1674.38 वर्गमी० भूमि 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु विद्युत विभाग को हस्तगत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लेसा विभाग की मांग को दृष्टिगत रखते हुए दो स्थलों पर क्रमशः गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विशेष खण्ड में 764 वर्गमी० तथा विनम्र खण्ड में 1674.38 वर्गमी० भूमि, विद्युत विभाग को लीज पर 90 वर्षीय पट्टा रू० 1/- वार्षिक लीज रेंट की दर, पूर्ण पट्टा अवधि हेतु रू० 10.00 (रूपया दस मात्र) एक मुश्त भुगतान के आधार पर आवंटित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
182/7	कानपुर रोड योजना में स्थित डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में निर्मित डा० भीमराव अम्बेडकर सभागार को आउटसोर्स के माध्यम से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त कानपुर रोड योजना स्थित डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में निर्मित डा० भीमराव अम्बेडकर सभागार का संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
182/8	लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित बहुमंजिली इमारतों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित बहुमंजिली इमारतों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति, ड्राफ्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये:- 1. ड्राफ्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी का अनुमोदन शासन स्तर से प्राप्त किया जाय। 2. मानचित्र स्वीकृति के समय स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवम् भवन स्वामी से प्रस्तावित भवन की आयु के सम्बन्ध में भी शपथ-पत्र के माध्यम से घोषणा पत्र प्राप्त किया जाय। 3. भवन का पूर्णतः प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त प्रत्येक 05 वर्ष में भवन का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराया जाय तथा अग्निशमन विभाग की एन०ओ०सी० से इसे लिंक किया जाय। 4. भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर/कन्सल्टेन्ट्स/फर्म का पैनल बनाने की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर की जाय।

✍

2

		उपरोक्त बिन्दु-02 एवम् 03 को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों में सम्मिलित कर अनिवार्य किया जाय। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
182/9	RFP for consultancy service for Prepration of ZDP for proposed TOD Zone along Lucknow Metro and Zonal Plan of LDA के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में चिन्हांकित TOD क्षेत्र के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु Floated RFP का कार्योत्तर अनुमोदन तथा महायोजना में निर्धारित जोनों के जोनल प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कंसलटेन्ट के चयन हेतु तैयार RFP के अनुमोदन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
182/10	रिंग रोड (किसान पथ), शहीद पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर के समानांतर मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर गहराई में टी0ओ0डी0 क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा रिंग रोड (किसान पथ), शहीद पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर के समानांतर मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर गहराई में टी0ओ0डी0 जोन के रूप में विशेष सुख-सुविधा के अन्तर्गत अधिसूचित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। शासन से सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
182/11	छावनी क्षेत्र स्थित सर्वे संख्या-122, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग पर अतिक्रमण कर काबिज व्यक्तियों को पुर्न-विस्थापित करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा छावनी क्षेत्र स्थित सर्वे संख्या-122, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड मार्ग पर अतिक्रमण कर काबिज 18 अतिक्रमणकर्ताओं को बटलर पैलेस के अतिक्रमणकर्ताओं की भांति विस्थापन नीति के अन्तर्गत बसंतकुंज योजना के भवनों में आवंटन सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अनुपूरक विषय		
अनु0वि0 182/1	सोलर एनर्जी संयंत्र हेतु टॉप रूफ फ्लोर पर सोलर पैनल लगाये जाने, वृक्षारोपण एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रस्ताव शासन को प्रेषित करते हुए जारी कार्यालय आदेश के अनुसार आवेदक द्वारा सोलर एनर्जी संयंत्र, वृक्षारोपण तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करायी जा रही है। उक्त प्रतिभूति मानचित्र स्वीकृति/शमनित से पूर्व जमा कराने के कारण मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है एवं आम जन को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तत्क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड

		द्वारा उपरोक्त प्रतिभूति राशि मानचित्र स्वीकृति/ शमनित के समय अन्य शुल्कों के साथ प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने एवं संबंधित कार्य पूर्ण होने पर ही उक्त प्रतिभूति धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
--	--	--

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

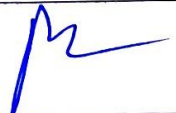
(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

अनुमोदित

(डा0 रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक
दिनांक 13.09.2024 की उपस्थिति

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	डा० रोशन जैकब, अध्यक्ष, ल०वि०प्रा० एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।		
2.	श्री सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी, लखनऊ। <i>उपनिदेशक-आवास एवं शहरी नियोजन</i> <i>प्रतिनिधि-</i>	9454416488	
3.	प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	949412006	
4.	श्री इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। <i>S. C. Singh</i> <i>Ex. Eng.</i>	8810715945	
5.	प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।		
6.	प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन। <i>प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव</i> <i>आ० के. शासन</i>	9837458332	
7.	श्री हितेश कुमार, नगर नियोजक, प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०।	6388612234	
8.	श्री दीप कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	9795810089	
9.	श्री महेश कुमार गौतम, अधिशासी अभियन्ता प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।	9473941836	
10.	श्री मनोज चौरसिया, उपायुक्त-उद्योग, प्रतिनिधि-संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।	9454511540	
11.	डा० कल्याण सिंह, उपनिदेशक, पर्यटन, लखनऊ। प्रतिनिधि-महानिदेशक पर्यटन, उ०प्र०।	9444666444	
12.	श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415464485	
13.	श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9936247161	